

42

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 13-1-84

NOTIFICATION
INCOME TAX

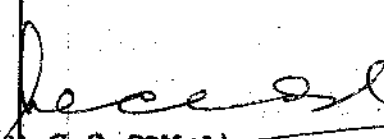
No. 5584 (F.No.203/241/83-ITA.II): In continuation of this Office Notification No.3179(F.No.203/26/80-ITA.II) dated 7-2-80, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:-

- i) That the Goa Cancer Society, Goa will maintain a separate accounts of the sums received by it for scientific research.
- ii) That the said society will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- iii) That the said society will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

GOA CANCER SOCIETY, GOA.

This notification is effective for a period from 4-10-1982 to 31-12-1985.


(M. G. C. GOYAL)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

Malik/

भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(11) में प्रकाशित

भारत सरकार
शिक्षा विभाग
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13-1-84

अधिसूचना
(आयकर)

सं० 5584 (फसं० 203/241/83-आयकर-11) : इस कार्यालय की
दिनांक 7-2-80 की अधिसूचना सं० 3179 (फसं० 203/26/80-आयकर-11)

के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् शिक्षा और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के तहत प्रति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" पुरस्कार के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :-

1. यह कि **गोदा कैसर सोसायटी, गोवा, वैज्ञानिक अनुसंधान** के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।
2. यह कि उक्त **सोसायटी** अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी रिपोर्टों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संक्षेप में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
3. यह कि उक्त **सोसायटी** अपनी कुल अन्य तथा व्यापक वार्षिक रूप से अपनी संपत्तिगत वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियाँ, वेन्यारिस्ट्री वार्षिक रूप से कुल - पत्र की एक - एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति संबंधित आयकर अधिकृत को भेजेगा।

संस्था

गोदा कैसर सोसायटी, गोवा।

यह अधिसूचना 4-10-82 से 31-12-83 तक - 84 के लिए प्रयुक्त है।

मदन गोयल
(सहायक सचिव, राजस्व विभाग)
अवर सचिव, भारत सरकार